ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

सीमावर्ती क्षेत्रों का समाज व मानवाधिकार

किशन लाल साऊ
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में सीमावर्ती क्षेत्रों में समाजशास्त्र से जुड़ने का एक प्रयास है। वस्तुतः यह एक बहुआयामी प्रयास है। इसका उद्देश्य साक्षरता, शिक्षा व सामाजिक न्याय दिलाना है। मानव विकास ताा सामाजिक विकास के लिए शासन में पारदर्शिता एवं मूलभूत गारंटी है।

सुदुर ग्रामीण जीवनयापन व शहरी जिंदगी में बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस सम्बन्ध में सीमावर्ती क्षेत्र का मानव जीवन व समाज के बीच मानवाधिकार की पहुँच कितनी है व कहां तक है। मानव मूल्यों को पहचानना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, सीमावर्ती क्षेत्र, भारतीय समाज।

प्रस्तावना

मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते अनिवार्य रूप से मिलते है या मिलने चाहिए। एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने को सम्मानपूर्वक, गरिमामय, मानवीय जीवन व्यतीत करने हेतु उपयुक्त आधार प्रदान करना है। इस प्रकार मानवाधिकार सार्वभौमिक होते है और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से जीवन में प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखते है। मनुष्य को समाज मे रहने के लिये सामाजिकता के साथ–साथ मानव मूल्यों को भी संजोये रखना पडता है। इस अध्ययन में सीमावर्ती क्षेत्र के मानव जीवन को जानना है। इस क्षेत्र के जन–जीवन को पहचानना ही हमारा उद्देश्य है।

मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को मात्र मनुष्य होने के कारण प्राप्त अधिकार है। जो अहरणीय, अविभाज्य एवं अंतर–निर्भय है, तथा जिनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जा सकता है, किन्तु महान राजनैतिक विचारक जे0जे0 रूसों ने कहा था–''मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किन्तु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है'' (मैनें इज बॉर्न फ्री बट इज एव्रीव्हेयर इन चेन्स) इसलिए आज जरूरी हो गया है कि भारत के सभी नागरिक यह जान गये है कि भारतीय संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हैं और उसका उल्लंघन होने पर सही समय पर सही जगह पर वे कैसे कानूनी कार्यवाही करें। बच्चों, महिलाओं दलितों, अल्प संख्यकों, बंधुआ मजदूरों और कैदियों को विशिष्ट मानवाधिकार प्राप्त है, जबकि सभी लोगों को बहुत सारे सामान्य अधिकार प्राप्त है।

भारत के प्राचीन काल में सबसे पुराने ग्रंथ ''ऋग्वेद'' और उसके बाद ''अथर्ववेद'' तथा कौटिल्य के ''अर्थशासत्र'' में विभिन्न मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं के विभिन्न रूप मिलते है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आधुनिक मानवाधिकारों का पूरी समझदारी से बीजारोपण किया गया था। अब तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है जिसके तहत पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित है।

इक्कीसवीं सदी में भी दलितों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन भारत के विभिन्न इलाकों में हो रहा है जो निःसन्देह निंदनीय है इसे रोकने के लिए शासन प्रशासन के अलावा व्यंसेवी संस्थाओं और सुलझे नागरिकों को पहल की जरूरत है।

बंधुआ 'मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मजदूरी प्रथा अभी भी मौजूद होने पर गंभीर चिंता जताई है। तमाम सांवैधानिक व्यवस्था के बावजूद आज भी देश का बहुसंरक्षक मेहनतकश तका और बचपन गुलाम है। देश के खेतों, खदानों भट्टो एवं निर्माण कार्यों में खून पसीना बहाते असंगठित क्षेत्र के लगभग 36 करोड़ वयस्क मजदूर साल भर रोजगार के अधिकार से

वंचित और ऊपर से सीमित दिनों के रोजगार में न्यूनतम मजदूरी से वंचित बंधुआ मजदूरी की लानत ढो रहे थे।

मानवीय सम्मान और गरिमा पर गकुठाराधात करने वाली इस आमनुशिक प्रथा की जड़े भारत में बहुत पुरानी है। वस्तुतः दबे कुचले लोगों की सांमती व्यवस्था के तहत इस काम को जोड़ा गया। इसे हम सामाजिक व्यवस्था के भेदवादी चरित्र की भी देन मान सकते हैं। प्राचीन काल में गुलामी की जो प्रथा विद्यमान थी, उसने भी इस कुप्रथा को परवान चढ़ाने का काम किया। कालांतर में यह परम्परागत रू‍ से जाति व्यवस्था से जुड़ गई। जो जातियॉ इसमें धकेली गई, उनका यह पुश्तैनी पैसा बन गया। समाज के बदलते संदर्भों के साथ मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और सम्मान के प्रति हमारी चेतना तो बढ़ी, किन्तु इस कुप्रथा के सफाए के लिये जो उद्वेलन एवं संवेदना सामाजिक स्तर पर दिखानी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। कुछ पैसों, बासी रोटियों एवं सब्जियों तथा उतरन के एवज में इस काम से पुश्तैनी रूप से जुड़े लोग इसे करने को बाध्य रहे।

मैला ढोने की कुप्रथा के निवारण की दिशा में सरकार तो प्रयत्नशील रही है, देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर गंभीर रूख अख्तियार किया। दिसम्बर 2004 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि संबंधित कानून को देश में कड़ाई से लागू किया जाये। इसी क्रम में अक्टूबर 2007 में देश की शीर्ष अदालत द्वारा मैलो ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये गये थे।

सन् 1982 में गठित बंधुआ मुक्ति मोर्चा का दावा है कि उसने 2004 तक एक लाख बहतर हजार बंधुआ मजदूरों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है उसमें से अधिकतर का पुर्नवास भी हो चुका है मगर इतना तो सच है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बंधुओ मजदूरों की मौजूदगी है जिनकी संख्या कुछ हजार हो सकती है। निश्चित रूप से यह एक अमानवीय प्रथा है तथा व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से कमाने खाने के मानवाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। समाज के हर प्राणी को जीने का अधिकार है जो समाज के हर प्राणी का कर्तव्य भी है कि किसी के जीवन के बाधक नहीं बने।

भारतीय समाज में मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन निर्धन, गरीब व्यक्तियों या नारियों के संदर्भ में होता है। पुलिस विभाग को भी मानवाधिकार के हनन में सर्वाधिक दोषी पाया जाता है। बाल श्रमिकों को नियोजन, बंधुआ मजदूरी की प्रथा, आदिवासियों का शोषण, बड़े बांध, जलाशयों, विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का विस्थापन, जंगल और जमीन पर जन सामान्य के अधिकारों की अस्वीकृति आदि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। इस प्रकार के प्रकरणों में आए दिन नागरिक अधिकार संबंधी संगठनों द्वारा आवाज उठाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकार के उल्लंघन सं संबंधित अनेक याचिकाएं आए दिन दायर की जाती है। इसमें से अधिकांश मामलों में सरकार ही दोषी पाई जाती है।

साधारण जनजीवन के विपरीत सीमावर्ती दुरूस्त इलाके का सामाजिक जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजरता है। सीमावर्ती क्षेत्र जहॉ सरकारी तंत्र की पहुँच कमजोर पड़ने लगती है और मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ता है वहॉ पर सामाजिकता का ह्रास होने लगता है और वहीं से मानवाधिकार का हनन शुरू होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव झेलना पड़ता है।

लोगों को जीवन यापन के लिए कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये हैं, उन्हें विकासशील विश्व के मानवाधिकार की संज्ञा दी गई है, ये अधिकार–भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सूचना का अधिकार। यदि व्यक्ति को ये अधिकार सुनिश्चित किये जाये ता किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा इनका दमन सम्भव नहीं हो सकेगा।

सामान्यतया मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पुलिस विभाग की सर्वाधिक संलिप्तता पाई जाती है। अपराधियों से निपटने के लिए प्रायः पुलिस विभाग को मारपीट और प्रताड़ना का सहारा लेना पड़ता है।ऐसी स्थिति में अपराधी के मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना लगातार बनी रहती है। महिलाओं के मामलों में पुलिस को और भी संवेदनशील और सतर्क होना पड़ता है। पुलिस अभिरक्षा में महिलाओं के शारीरिक शोषण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह नियम बनाया गया है। कि महिलाओं को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार न किया जाय। न्यायालय भी पुलिस हिरासत में किसी महिला के मानवाधिकार हनन को बहुत गंभीरता से लेते हैं।

सामाजिक न्याय ऐसी अवधारणा है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी दी जाती है। भारत में सामाजिक न्याय एक प्रमुख सांवैधानिक मूल्य है।

मानवाधिकार रूपी तंत्र की उन अनजान लोगों तक पहुँचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो इस के वास्तविक हकदार है। समाज में आजकल ऐसे अपराधों को अन्जाम दिया जा रहा है, जिसपर पुलिस प्रशासन व न्याय व्यवस्था बेखबर है। भारत का पश्चिमी क्षेत्र या राजस्थान का मरूस्थलीय भाग, जहाँ का जनजीवन अति विषम परिस्थितियों का है वहाँ पर प्रशासन की तथा न्यायव्यवस्था की नाम मात्र की सुविधा नहीं हैं। रेतीले धोरों व सुदूर तक वीरान क्षेत्र पर अपराध को पनपने का मार्ग मिलता है, इन स्थानों पर अवैध हथियारों का जखीरा, नकली नोटों का भंडार तथा नशीले पदार्थ जैसे– स्मैक, हिरोइन,अफीम तथा डोडापोस्ट को आसानी से जमा करके सप्लाई करते हैं। इस प्रकार के अवैध कारनामों से समाज को खोखला बनाकर रख दिया है इन लोगों तक पहुँचने में पुलिस प्रशासन एवं खूफिया तंत्र असफल रहते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों के अपराध में लिप्त लोगों की सामाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में समय–समय पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, इससे इन असामाजिक लोगों की करतूत उजागर होती है। सन्

2009 में बाड़मेर जिले के गागरीया ग्राम निवासी नबीय उर्फ नवाब खां के पास से नकल नोटों के भंडार प्राप्त हुए, उसके बाद सीमावर्ती में इसका जाल फैल गया। नकली नोटों की बड़ी खेप सीमा पार से पहुँची। नबिया उर्फ नवाब खां पर नकली नोटों से सम्बन्धित करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रकरण चल रहे हैं। नबीया हार्डकोर अपराधी है इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस डी0जी0 श्री मनोज भट्ट साहब ने अपनी टी0वी0 इन्टरव्यू 29 दिसम्बर 2015 को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में ''नकली नाटों का खजाना'' तक कहा। इसके अतिरिक्त सीमापार से सोशल मीडिया के द्वारा गलत संदेश भेजने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार साम्प्रदायिक हिंसा भी हुई। सेडवा उपखण्ड (बाड़मेर) में पिछली ईद को दो सम्प्रदायों के सोशल मीडिया में गलता संदेश से तनाव पैदा हो गया था।

सामाजिक जीवन में इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ जहर घोलने का काम करती हैं तथा समाज में विकास का रोड़ा बनती जा रही हैं। आतंकवाद आज संगठित अपराध के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पांव पसार चुका है। आतंकवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा सत्ता कि गतिविधियों को संचालन कर लोगों में दहशत एवं भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अशिक्षा व गरीबी ही अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, बेरोजगारी अपने आप में व्यक्ति के लिए तरह का अभिशाप है और समाज के लिए विघटन का एक कारण है।

निष्कर्ष

सीमवर्ती क्षेत्र जहॉ ग्रामीण तबका ज्यादा है वर्तमान परिवेश से काफी पीछे है, इस प्रकार के समाज में जहॉ असामाजिक तत्व ज्यादा पनप रहे हैं और अपराधिक गतिविधियों को अंजाम में दे रहे हैं। इन क्षेत्रों का मानव जीवन भयग्रस्त एवं दबाव वाला है। भारतीय समाज पर आधुनिककरण तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से पुरातन संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा, जी0 एल0 समलैंगिकता अपराध या मानवाधिकार–एक सामाजशास्त्रीय विश्लेषण, राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा, वर्ष–16 अंक–1 जनवरी जून 2014 समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली।*
2. *शर्मा, जी0एल0 भूमण्डलीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम मंथन हिन्दी जर्नल अंक–3 जनवरी 2012।*
3. *शर्मा, योगेशचन्द एवं गरिमा शर्मा महिला पुलिस एवं मानवाधिकार पैनासिया इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, वर्ष–1 अंक–2 अक्टूबर–दिसम्बर 2013।*
4. *टंसारी, ए0एम0 महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन 2000।*
5. *शर्मा, जी0 एल0 सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड सोसो–इकोनॉमिक डेवलपमेण्ट इन रूरल इण्डिया।*
6. *रिव्यू जर्नल ऑफ फिलोसॉफी एण्ड सोशल साइंस, वाल्यूम–36 स्पेशल इश्यू–2.011।*
7. *स्वामी अग्निवेश, बंधुआ श्रमिक, समस्याएं एवं समाधान, मानवाधिकार, नई दिशाएॅअ ंक–1 2004।*
8. *सुभाष शर्मा, भारत में बाल मजदूर 2006, प्रकाशक संस्थान, नई दिल्ली (द्वितीय संस्करण)।*
9. *सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार 2009, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नेहरू भवन बसंत कुंज नई दिल्ली।*
10. *Majumdar, D. N (1972) Concept of Law justice among the socio-cultural groups of norths-east india. Vivekanand Kendra patrika.*
11. *Singh, Yogendra (2002) Modernization of india tradition. Rawat publication Jaipur and New Delhi.*
12. *Sharma, G.L. (2015) Social Issues. Rawat Publication Jaipur and New Delhi. sss*